नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम सम्बन्धी दिशा–निर्देश 2018–2019

(मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया, फाइलेरिया और कालाजार मार्गदर्शिका)

नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम का संचालन कार्ययोजना वर्ष 2018 के दिशा निर्देशानुसार संपन्न कराया जायेगा जिस हेतु नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया, फाइलेरिया और कालाजार कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार व्यय/उपभोग किये जाने हेतु मदवार निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं। उपभोग हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व्यय नियमों का शत्–प्रतिशत पालन व जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लें। इस मार्गदर्शिका में जिन मदों के अंतर्गत विस्तृत ब्रेक–अप नहीं दर्शाया गया है, उस मद में आबंटित धनराशि का ब्रेक–अप जनपद कार्ययोजना 2018 के अनुसार अपने स्तर से बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त उपभोग करें।

धनराशि प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति की होने वाली प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु मार्गदर्शिका के साथ रखा जाये। अनुमोदित कार्य कार्यक्रम के दिशा–निर्दश के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। व्यय की गयी धनराशि की बुकिंग अधिकतम 10 कार्यदिवसों में पूर्ण कर लें। कार्यक्रम का नियमानुसार एवं दिशा–निर्देशानुसार संचालन कराने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा। कार्यक्रम के संचालन में होने वाले व्यय का तुरन्त भुगतान किया जाये, यदि प्रस्तुत बिल, बाउचर, अभिलेख में कोई त्रुटि है तो 3 कार्यदिवसों में उस त्रुटि के निराकरण हेतु संबंधित को सूचित किया जाये। कार्यक्रम संचालन, व्यय, व्यय प्रपत्र, भुगतान का सम्पूर्ण विवरण दिनांक के अनुसार कि बिल प्राप्ति के कितने दिन बाद भुगतान हुआ लिपिक द्वारा रखा जायेगा जो किसी भी प्रकार की शिथिलता हेतु पूर्ण जिम्मेदार होगा तथा डी0पी0एम0, डी0ए0एम0 एवं संबंधित लिपिक भी पूर्ण जिम्मेदार होंगे।

(अ) मलेरिया

FMR Code No. F.1.1. MALARIA

New FMR Code-16.8 (Old FMR Code No F.1.1.a) Human Resource (Contractual Payments)

1. **New FMR Code-16.8.2.2.2, (Old FMR Code No F.1.1.a .ii) - District VBD Consultant**

इस मद के अंतर्गत 18 जनपदों में वर्ष 2018–19 के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर एक–एक District VBD Consultant कार्यरत हैं जिनका मानदेय Rs 25241/- प्रतिमाह की दर से, 12 माह की अवधि के लिये स्वीकृत है। यह धनराशि जो कन्सल्टेन्ट एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको भुगतान की जायेगी। एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण न करने वाले कन्सल्टेन्ट को पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0–24039 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जनपद के नाम निम्नवत हैं– 1. Allahabad, 2. Bahraich, 3. Ballia 4. Banda. 5 Deoria. 6. Lucknow 7. Ghazipur 8. Kanpur Nagar 9.Maharajganj 10. Mirzapur 11. Moradabad 12.Muzaffarnagar 13. Saharanpur 14. Sambhal 15. St. Ravidas Nagar (Bhadohi) 16. Shamli 17. Sonbhadra 18. Varanasi . District VBD Consultant के टी0ओ0आर0 निम्नवत् है–

TERMS OF REFERENCE	
Position	**District Vector Borne Disease Consultant**
Duration of Contract	The recruitment will be for a period 12 months and renewable based on satisfactory performance.The contract may be terminated at anytime before the end of contract period by the

	decision of District Health Society.

Purpose of Assignment:

The **District Vector Born Disease Consultant** shall be part of the District VBD Office of the allotted district and would be responsible for assisting district authorities in strengthening malaria, kala-azar and other vector borne diseases (VBD) control programme in planning, monitoring (including reporting & recording), monitoring of drugs and logistics, training, supervision and evaluation.

Summary of Roles and Responsibilities:

VBD consultant will :

1. Support and assist ACMO, VBD / District Malaria Officer
2. Ensure that current programme guidelines for programmes of Vector Born diseases are followed in all health facilities and by all health workers, ASHAs and concerned staff in the district.
3. Conduct regular field visits for ensuring quality implementation of the programme and provide technical support to the concerned staff on site, including on-the job training to peripheral staff and local volunteers, ASHAs etc and to ensure timely data collection.
4. Assist the VBD units in monitoring of drugs, diagnostic kits and other logistics to ensure timely action against stock-outs, ensure functional status of equipments such as ILRs for cold chain maintenance, compression pumps etc.
5. Assist in micro-planning and supervision of vector control interventions (like indoor residual spray, use of larvicides) to ensure the quality and coverage.
6. Actively co-ordinate with district administration, NGOs, CBOs and the private sector stakeholders (health and non-health) under various related programmes.
7. Assist in development of the BCC/ IEC plan for the district with special emphasis on IPC tools and innovations in BCC/ IEC.

Agreement:

Selected and renewable candidates will draw a contractual agreement with District Health Society before joining the post.

2. **New FMR Code-3.1.1.4.1, (Old FMR Code No F.1.1.b) - Asha Incentive/ Honorarium**

इस मद के अंतर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि से आशा को मलेरिया परजीवी जांच हेतु रक्त पट्टिका निर्मित करने एवं 24 घंटे के अन्दर निकटतम् स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुँचाने पर रू0 15.00 प्रति रक्त पट्टिका की दर से मानदेय देय होगा। यह राशि आर0डी0टी0 (बाइवैलेन्ट एन्टीजेन बेस्ड) किट द्वारा मलेरिया की जॉच करने पर भी देय होगी तथा मलेरिया धनात्मक रोगियों के पूर्ण रेडिकल ट्रीटमेंट के लिये प्रति रोगी रू 75.00 देय होगा।

3. **New FMR code- 16.1 program management – (Old FMR Code No F.1.1.d) - Monitoring, Evaluation and Supervision and Epidemic Preparedness including Mobility and NAMMIS and MPW Monitoring Incentive.**

इस मद के अंतर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर निम्न कार्यों हेतु किया जायेगा।

- **Monitoring, Supervision & Evaluation –** मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक को **3 माह** तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों (अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टर बार्न एवं जिला मलेरिया अधिकारी) को **4 माह** के लिए मलेरिया एवं अन्य वी0बी0डी0 कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग, सुपरविजन एण्ड इवैलुएशन हेतु आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दरों पर नियमानुसार किराये पर लिये गये वाहनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।
- **Epidemic Preparedness-** रैपिड रिस्पान्स टीम के कार्यों तथा प्रारम्भिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।
- **Printing of formats-** आवश्यकतानुसार प्रपत्रों की छपाई पर व्यय।

4. New FMR Code- 9.5.1.2.1, (Old FMR Code No F.1.1.f) - Training / Capacity Building

इस मद के अंतर्गत मलेरिया/वी0बी0डी0 कार्यक्रम में आशाओं के संवेदीकरण एवं दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को धनराशि प्रदान की गयी है, जिसका उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। 1000 से अधिक मलेरिया धनात्मक केसेस (वर्ष 2017 के अनुसार) वाले जनपदों में प्रति ब्लाक 2 बैच तथा 400 से 1000 मलेरिया धनात्मक केसेस वाले जनपदों में प्रति ब्लाक 1 बैच एवं अन्य जनपदों में 02 बैच प्रति जनपद बनाये जायेंगे। **प्रत्येक बैच में 40 आशाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।** प्रत्येक बैच के लिए रू0–6300 की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें प्रशिक्षक को रू0–300 मानदेय देय होगा तथा प्रत्येक आशा को आने–जाने, जलपान व प्रशिक्षण मानदेय हेतु रू0–150 की धनराशि स्वीकृत है जिसमें आशा को आने–जाने एवं प्रशिक्षण मानदेय के रूप में रू0–100 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0–50 की धनराशि प्रति आशा प्रशिक्षण के समय जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।

5. Old FMR Code No B.10.6.9.a, (New FMR Code- 11.15.1) - IEC/BCC for Malaria

इस मद के अंतर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग मलेरिया/वी0बी0डी0 कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा जिससे जनसामान्य को मलेरिया/वी0बी0डी0 की रोकथाम हेतु समुचित उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।

6ण New FMR Code- 16.1 program Management (Old FMR Code No F.1.1.g) for Zonal Entomological Units

इस मद के अंतर्गत 09 मण्डलीय जनपदों आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी एवं मेरठ में स्थापित ''जोनल एण्टोमोलाजिकल यूनिट्स'' के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी धनराशि ट्रेनिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, किराये पर वाहन लेने हेतु, कन्टीजेन्सी, कमोडिटीज तथा कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट इत्यादि पर नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरानत व्यय की जायेगी।

अन्य 09 मण्डलीय जनपदों अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, गोण्डा (देवीपाटन मण्डल), कानपुर नगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर में नयी एण्टोमोलॉजिकल यूनिट्स स्थापित किये जाने हेतु उपलब्ध धनराशि का व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार संबंधित जनपदों द्वारा ''मण्डलीय कीट विज्ञान'' टीम के

प्रयोजनार्थ जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा। एच0आर0 की नियुक्ति टी0एस0यू0 एवं एन0एच0एम0 द्वारा की जायेगी।

F .6 Cash grant for decentralized commodities

इस मद से औषधियाँ, लार्वानाशक, कीटनाशक आदि को भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के नियमानुसार क्रय करें। डी–सेन्ट्रेलाइस्ड कमोडिटीज़ की सूची निम्नवत है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की दशा में जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

F.6	Cash grant for decentralized commodities
F.6.a (New FMR-6.2.1.2.1)	✓ Chloroquine phosphate tablets – For Malaria
F.6.b	Primaquine tablets 2.5 mg
F.6.c (New FMR-6.2.1.2.3)	✓ Primaquine tablets 7.5 mg – For Malaria
F.6.d	Quinine sulphate tablets
F.6.e	Quinine Injections and Artisunate Injection
F.6.f	DEC 100 mg tablets
F.6.g	Albendazole 400 mg tablets
F.6.h	Dengue NS1 antigen kit
F.6.i	Temephos, Bti (AS) / Bti (wp) (for polluted & non polluted water)
F.6.j	Pyrethrum extract 2% for space spray - only in UMS-Scheme Towns as per NVBDCP Guide lines
F.6.k	ACT (For Non Project states)
F.6.l (New FMR – 6.2.1.2.12)	✓ RDT Malaria – bi-valent (Antigen based) (For Non Project states) – For Malaria
F.6.m	Any Other Items (SP 5%) SP 2.5% Deltametherin Flow etc.

(ब) डेंगू एवं चिकनगुनिया

1. **New FMR Code No. 1.1.5.1 (Old Fmr- f.1.2.e) Dengue and Chikunguny case management**

इस मद के अन्तर्गत डेंगू एवं चिकुनगुनिया कार्ययोजना 2018 के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु धनराशि का व्यय किया जायेगा। चिकित्साधिकारी और स्टाफ नर्स का क्लीनिकल रिओरियेन्टेशन/संवेदीकरण कराया जायेगा। इसमें जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों एवं स्टाफ नर्स को सम्मिलिति किया जायेगा।

2. **New FMR Code No. 3.1.1.4.2 (Old Fmr- f.1.2.i) Asha incentive**

इस मद के अन्तर्गत आशा द्वारा उपचार के स्थान पर डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मरीजों को उपचार उपलबध करवाने पर, उन मरीजों में जिन मरीजों को एलाइजा विधि से डेंगू व चिकुनगुनिया का केस घोषित किया जायेगा आशा द्वारा उन पुष्ट धनात्मक केसों की संख्या के अनुसार प्रति पुष्ट धनात्मक केस (एलाइजा एनएस 1 या आई0जी0एम0) पर आशा को रू0–200 का भुगतान किया जायेगा।

3. **New FMR Code No. 3.2.5.2.1 (Old Fmr- f.1.2.f) Dengue & Chikungunya: Vector Control, environmental management & fogging machine**

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग कर डेंगू एवं चिकुनगुनिया कार्ययोजना 2018 के अनुसार मच्छररोधी कार्य कराया जाये एवं मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार के अन्तर्गत लेबर डिपार्टमेन्ट के निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। अत्यधिक डेंगू संवेदनशील जनपदों में पोर्टेबिल हैंड ऑपरेटेड मशीन द्वारा फॉगिंग, Indoor Spray प्रचालन, अनुरक्षण व आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा लार्वीसाइडल एक्टिविटी को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. **New FMR Code No. 6.2.12.8 (Old Fmr- B.16.2.11.3.h) Dengue NS1 antigen kit**

इस मद के अन्तर्गत एस0एस0एच0 लैब में 1 से 5 दिन तक के डेंगू के संभावित बुखार के मरीजों की जांच हेतु एनएस 1 एलाइजा किट के क्रय हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5. **New FMR Code No. 9.5.12.2 (Old Fmr- f.1.2.h) Training / Workshop (Dengue and Chikungunya)**

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू रोग से बचाव एवं रोकथाम हेतु पैरामेडिकल एवं चिकित्सको के लिये आयोजित की जाने वाली कार्यशाला/प्रशिक्षण हेतु किया जायेगा। राज्य स्तर पर TOT करायी जा चुकी है। इस मद के अंतर्गत वी0बी0डी0 कन्सल्टेन्ट, चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को धनराशि प्रदान की गयी है, जिसका उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। आबंटित धनराशि से जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त व्यय किया जाएगा।

6. New FMR Code No. 10.3.1.1 (Old Fmr- f.1.2.a(i)) Apex Referral Labs recurrent

एपेक्स रेफरल लैब एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु रू0–300000 की धनराशि आबंटित की गयी है जिसका व्यय एस0जी0पी0आई0 एपेक्स लैब द्वारा किया जायेगा।

7. New FMR Code No. 10.3.1.1 (Old Fmr- f.1.2.a(i)) Sentinel surveillance Hospital recurrent

इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 37 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब में से निम्नलिखित 36 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल में प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल हेतु धनराशि रू0 1.00 लाख आवंटित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबल के क्रय, उपकरणों की मरम्मत एवं कन्टीजेन्सी पर किया जायेगा। यह धनराशि एस0एस0एच0 लैब के उपयोगार्थ है और यह धनराशि सी0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे सी0एम0एस0 को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये।

S.No.	District		SSH Lab
1	Agra	1	S.N Medical College Agra
		2	District Hospital Agra
2	Aligarh	3	J.N.Medical College Aligarh
		4	District Hospital Aligarh
3	Allahabad	5	MLN Medical College, Allahabad
4	Ambedkar Nagar	6	MMR Govt. Medical College, Ambedkarnagar
5	Azamgarh	7	District Hospital Azamgarh
6	Bahraich	8	District Hospital, Bahraich
7	Balrampur	9	District Hospital, Balrampur
8	Banda	10	District Hospital Banda
9	Bareilly	11	District Hospital Bareilly
10	Basti	12	District Hospital, Basti
11	Deoria	13	District Hospital Deoria
12	Etawah	14	Rural P.G.I Safai, Etawah
13	Faizabad	15	District Hospital Faizabad
14	G.B. Nagar	16	Authority Hospital, G.B.Nagar (NOIDA)
15	Ghaziabad	17	Mukund Lal Municipal Govt. District Hospital , Ghaziabad
16	Kanpur Nagar	18	U.H.M. Hospital Kanpur Nagar
		19	GSVM Medical College Kanpur
17	Lucknow	20	Regional Lab, Swasthya Bhawan, Lucknow
		21	P.G. Ram Manohar Lohia Institute, Gomti nagar Lucknow
		22	KGMU, Lucknow
18	Meerut	23	District Hospital Meerut
		24	L.L.R.M Medical College Meerut
19	Varanasi	25	Pt. Deen Dayal Hospital Varanasi
		26	Instt. of Medical Sciences, BHU Varanasi
20	Jhansi	27	MLB Medical College, Jhansi
21	Moradabad	28	Dist. Hospital, Moradabad
22	Shahjahapur	29	Dist. Hospital, Shahjahapur

S.No.	District		SSH Lab
23	Gonda	30	Dist. Hospital, Gonda
24	Saharnpur	31	Dist. Hospital, Saharnpur
25	Gorakhpur	32	Dist. Hospital, Gorakhpur
26	Raibareily	33	Dist. Hospital, Raibareily
27	Kannauj	34	Govt. Medical College, Kannauj
28	Hardoi	35	Dist. Hospital, Hardoi
29	Jalaun	36	Govt. Medical College, Jalaun

8. New FMR Code No. 11.15.2 (Old Fmr- B.10.6.9.b) IEC/BCC for Social mobilization (Dengue and Chikungunya)

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया के संबंध में जानकारी व जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार में किया जायेगा और यह एक्टिविटी अन्य वेक्टर बार्न डिजीज के साथ इन्टीग्रेटे की जायेगी।

9. New FMR Code No. 15.3.2 (Old Fmr- f.1.2.g) Inter-sectoral convergence

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं संगठनों की बैठक कर डेंगू से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।

10. New FMR Code No. 16.1 (Old Fmr- f.1.2.c) Monitoring/supervision and Rapid response (Dengue and Chikungunya)

इस मद के अंतर्गत जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट, समीक्षा बैठक के आयोजन एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा। जनपद एवं परिधिगत स्तर पर early diagnosis एवं prompt treatment हेतु मल्टीडिस्प्लीनरी रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा सेन्टीनल लैब से प्राप्त डेंगू धनात्मक रोगियों के सत्यापन में किया जाएगा साथ ही वेक्टर नियन्त्रण कार्यवाही कार्ययोजना 2018 एवं **NVBDCP guidelines** के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, समय पर सन्दर्भन तथा सूचना संग्रहण एवं सूचना संप्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा। जिला मलेरिया कार्यालय में कार्यरत जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य हेतु कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, क्षेत्र भ्रमण के लिए टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित दरों पर अधिकतम रू0–30,000 प्रतिमाह, 07 माह हेतु तथा शेष धनराशि उपरलिखित अन्य मदों में व्यय की जायेगी।

11. New FMR Code No. 16.1 (Old Fmr- f.1.2.d) Epidemic preparedness

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं महामारी की दशा में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, रैपिड रिस्पान्स टीम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संवेदीकरण हेतु NVBDCP के website (www.nvbdcp.gov.in) पर उपलब्ध NVBDCP की दिशा–निर्देश के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्ययोजना 2018 के अनुसार कार्य सम्पादित कराते हुये आशा, वी0एच0एन0सी0 एवं नगर निगम कर्मियों का संवेदीकरण कराया जायेगा। राजकीय वाहन की उपलब्धता की दशा में इसके पी0ओ0एल0 हेतु भी इस मद की धनराशि का आंशिक उपयोग किया जा सकता है।

कालाजार

New FMR Code 11.15.5 IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar
Old FMR Code No. B.10.6.9.e IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar
उपरोक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु जनपदवार दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. Hoardings- प्रत्येक कालाजार प्रभावित जनपद मुख्यालय हेतु एक होर्डिंग जिसकी माप न्यूनतम 20X10 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए अधिकतम रू0 15000/– प्रति होर्डिंग अनुमन्य है।
2. Banners- इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू 200/– की दर से प्रत्येक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 हेतु बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है।
3. Posters- इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.25/– की दर से प्रत्येक जनपद हेतु 5000 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है, जिसमें रू 5/– प्रिन्टिंग कास्ट एवं रू 0.25/– चस्पा करने की कास्ट है।
4. Sticker- इस मद में प्रति स्टिकर अधिकतम रू 0.50/– की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आशा हेतु 100 स्टिकर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप A4/4 प्रन्टिंग में कराया जाना अनिवार्य है।
5. Wall Writing- सूचना विभाग की दरों पर वॉल राइटिंग कराना सुनिश्चित करे।

प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि से यदि आपके जनपद में पोस्टर एजेंसी की दर, इस मद से कम स्वीकृत हो तो पोस्टर की संख्या बढ़ाते हुए इस समस्त धनराशि का प्रयोग पोस्टर लगाने हेतु किया जाए।

New FMR Code 2.2.10 Case search/ Camp Approach
Old FMR Code No. F.1.5. a(i) Case search/ Camp Approach

केस सर्च कैम्प एंव कालाजार पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य कालाजार के नए/छिपे हुए रोगियों का पता लगाकर उनको पूर्ण रुप से उपचारित कर रोग के स्त्रोत को समाप्त करना है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर करें–

1. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों का कालाजार रोग के प्रति संवेदीकरण/प्रशिक्षण।
2. जनपद के सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0/पंचायती राज/शिक्षा/आई.सी.डी.एस. इत्यादि विभागों के अधिकारियों/निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेण्टरों के प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण।
3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा को रोग के लक्षणों से परिचित कराकर कालाजार के संदिग्ध रोगी चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कैम्प के माध्यम से अथवा घर–घर जाकर करेंगें–
   - बुखार के रोगी जो 02 सप्ताह से अधिक अवधि से ज्वर से ग्रसित है उनका निकटतम पी0एच0सी0 पर सन्दर्भन करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओ के कार्यकर्ताओ को भी प्रशिक्षण देकर खोज अभियान में प्रतिभागी बनायें।
   - पूर्व में कालाजार से ग्रसित रोगी के शरीर अथवा चेहरे पर चकत्ते दाग इत्यादि उनके पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस (PKDL) की पुष्टि हेतु निकटतम पी0एच0सी0 पर संदर्भन करेंगे।
   - ब्लाक स्तर पर आशा को केस सर्च के आयोजन से पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्णी को मानदेय के रूप में रू0–100 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0–50 की धनराशि प्रति आशा प्रशिक्षण के समय जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।

- आशा द्वारा प्रत्येक कालाजार रोगी (वी0एल0) अथवा पी.के.डी.एल. रोगी को चिकित्सालय ले जाने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के रूप में रू 500.00 दिया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक–27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP(KA)NHM/EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।
- कालाजार प्रभावित ग्रामों तथा उनके सीमावर्ती ग्रामों में कालाजार रोगी की खोज के उपरान्त प्रत्येक 3 ग्रामों के मध्य कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे क्षेत्र में खोजे गए रोगी की RK-39 kit से पुष्टि की जा सके तथा रोगी को ट्रीटमेंट सेन्टर पर संदर्भित किया जाए।
- प्रत्येक कैम्प के आयोजन हेतु रू0 5000/– की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत टीम की यात्रा एवं कैम्प की प्रगति के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किराए पर वाहन (vehicle hire) लिया जा सकेगा, जिसका व्यय डी0एच0एस0 के अनुमोदन के अनुरूप दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- विगत 5 वर्षो में जिन गांवों में कालाजार रोगी पाये गये है, उनकी सूची बनाकर उन गांवों एवं उनसे समीपवर्ती ग्रामों में अवश्य खोज अभियान चलायेंगे।

4. कालाजार के रोगी को रोग की पुष्टि के उपरान्त उपचार पूर्ण होने पर रू 500.00 एवं पी.के.डी.एल. की पुष्टि होने पर रू 4000.00 Loss of wages के रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करे। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक–27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP (KA) NHM/EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।
5. कालाजार प्रभावित जनपद के प्रत्येक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों में आर.के.–39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं जॉच किये संभावित रोगियों का विवरण सर्वेलेन्स रजिस्टर पर अंकित करेंगे।
6. इस मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पठन–पाठन सामग्री pamphlet, booklet, patient identity card, referral slip, register, reporting formats, vehicle hiring, POL आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाये। खोज अभियान के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार करायें। पी0एच0सी0 पर रोगी का परीक्षण कराकर निकटतम चिकित्सालय पर उपचार की व्यवस्था कराई जाए। सभी कालाजार रोगियों की HIV & TB की जांच करायी जाए तथा धनात्मक पायी जाने की दशा में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य मलेरिया/वी.बी0डी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

New FMR Code 6.1.2.2 .b Spray Pumps and accessories
Old FMR Code No. F.1.5.a (ii) Spray Pumps and accessories

इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग अवशेषी कीटनाशक छिडकाव हेतु आवश्यक स्प्रे–पम्प, उपस्कर, बाल्टी, मग आदि साम्रगी की व्यवस्था नियमानुसार कय प्रकिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

New Code No 3.2.5.2.3 Operational cost for spray including spray wages
Old FMR Code No. F.1.5. b Operational cost for spray including spray wages

इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी के (रू 313.10/– प्रतिदिन की दर से) भुगतान हेतु किया जायेगा। वर्ष में 02 चक्र में छिड़काव किया जायेगा– मार्च अप्रैल एवं सितम्बर अक्टूबर जनपदों को स्प्रे के लिए लगाए गए प्रत्येक नये कालाजार अथवा पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने पर उसके ग्राम अथवा मोहल्ले में फोकल आई.आर.एस. स्प्रे किया जाएगा। प्रत्येक आई.आर.एस. स्प्रे राउण्ड में संबंधित आशा को जनजागरण एवं आई.आर.एस. में सहयोग हेतु रू 100.00 देय होगा।

New FMR Code No. 2.2.10 Mobility/POL/supervision
Old FMR Code No. F.1.5.c Mobility/POL/supervision

इस मद में आवंटित धनराशि से आवश्यकता के अनुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वाहन अनुरक्षण/डीजल/पैट्रोल/वाहन **hiring** आदि की व्यवस्था करने सम्बन्धी व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

New FMR Code No. 16.1 Monitoring and Evaluation
Old FMR Code No. F.I.5.d Monitoring and Evaluation

इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग मूल्याकंन एवं अनुश्रवण कार्य जैसे त्रैमास समीक्षा बैठक, भ्रमण (अनुरक्षण/ डीजल/पैट्रोल/वाहन **hiring)** प्रशिक्षण हेतु निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।
ए0सी0डी0 एवं आई0 आर0एस0 की गतिविध्यिों के मूल्यांकन के लिए उनको 100 रू मानदेय प्रतिदिन एवं 200 रू0 वाहन के पी0ओ0एल के मान्य होगा।

New FMR Code 3.2.5.2.4 Training for spraying
Old FMR Code F.1.5.e Training for spraying

इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग आई.आर.एस. छिड़काव कराने वाले कर्मचारी/आशा के प्रशिक्षण एव छिड़काव की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु कार्य पर नियमानुसार किया जाये।

फाइलेरिया

New FMR Code No. 16.2

Old FMR Code No. F.1.4.a State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting

- जनपद के District Coordination Committee की बैठक, प्रपत्रों इत्यादि की छपाई, मीडिया संवेदीकरण, रैपिड रिस्पॉस टीम की व्यवस्था एवं कन्टीजेन्सी सपोर्ट में वहन किया जायेगा। समस्त आयोजन एम0डी0ए0 गाइड लाइन्स की समय सारिणी के अनुसार संम्पादित कराये जाये।

New FMR Code No. 10.2.5

Old FMR Code No. F.1.4.c Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt.&private)/ICMRinstitutions)(@Rs.15000 each MDA district)

इस मद में जनपदों को रू0 0.15 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त कार्य मेडिकल कालेज (सरकारी एवं प्राइवेट)/आईसीएमआर इन्स्टीट्यूशन द्वारा किया जायेगा। एम0डी0ए0 कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद इसे कराया जायेगा तथा दो माह की अवधि के अंदर पूर्ण कराना होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा।

New FMR Code No. 1.1.5.3

Old FMR Code No. F.1.4.a Morbidity Management

- इस मद के अर्न्तगत मॉरबिडिटी मैनेजमेन्ट के कार्य संपादित किए जाएगे, जिस हेतु रू0 150.00 प्रति रोगी हेतु मग, साबुन, छोटी तौलिया व एन्टी बैक्टिरियल या एन्टीफंगल क्रीम आदि के क्रय हेतु निर्धारित है। **हाइड्रोसील ऑपरेशन कैम्प** का आयोजन करके एम0डी0ए0 अभियान के दौरान चिन्हित एवं लाइन लिस्ट किये गये हाइड्रोसील रोगियों की शल्य चिकित्सा प्रदान करने हेतु किया जायेगा। जिस हेतु अधिकतम रू0 750.00 प्रति रोगी व्यय निर्धारित है–रू0 750.00 में से चिकित्सक/ सर्जन का मानदेय रू0 250.00 स्टाफ नर्स का मानदेय रू0 50.00, दो अटेन्डेट प्रत्येक को मानदेय रू0 25.00, रोगी की औषधि हेतु रू0 300.00 एवं रोगी की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था हेतु रू0 100.00 दिया जाना है।
- इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के संचालन, फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों के self care एवं हाइड्रोसील के रोगियों की शल्य–चिकित्सा पर व्यय किया जाना है।